**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी**
**पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर**

| क्र0 सं0 | प्रा0पत्रसं0 | GCMS NO. | दर्ज दिनांक | उनवान | निर्णय दिनांक | कुल पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33/24 | 2024/55 | 27.08.2024 | सरकार बनाम राकेश मित्तल | 23.04.2026 | 1लगायत 3 |

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 33/2024 (2024/55)

**उनवान प्रकरण**

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर।
आवेदक

**बनाम**

1. श्री राकेश कुमार मिततल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मिततल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स आर.के. मावा.डीलर्स कल्याण जी गेट ,गंगापुर सिटी 322201 निवासी सत्यनारायण मन्दिर के पास ,कल्याण जी गेट,गंगापुर सिटी 322201। अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 & (2)(v)54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध आहार मिलावट पर वार) के तहत दिनांक 29.03.2024 को दोपहर 11.30 ए.एम पर फर्म आर. के. माया डीलर्स कल्याण जी गेट, गंगापुर सिटी पर पंहुचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसे आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मितल फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु डीप फिज में 20–20 किलो की टोकरी में लगभग 200 किलोग्राम गावा दूकान में रखा था। उक्त मावा में गुणवत्ता/मिलावट होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जाँच 1 किलोग्राम खरीदकर उनकी कीमत 200/–रुपये विक्रेता श्री राकेश कुमार मितल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा । किलोग्राम मावा को एक स्टील के खाली बर्तन में लेकर चार प्लास्टिक की बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर फॉरमर्लिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–3211 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना नागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा [illegible] एच–3211 [illegible] नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक [illegible] से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग [illegible] नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व [illegible] दोनों पर आवें। [illegible] नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक [illegible] सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री राकेश कुमार मितल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री राकेश कुमार मितल को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/329 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एलएस/1213/एक्ट/2024/1396 दिनांक 15.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉंच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा Substandard एवं Extraneous matter प्रकृति का होना पाया गया है। जॉंच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा **Substandard** एवं **Extraneous matter** मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं (2)(v) का उल्लघंन क्या है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अंधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः मशः धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा **Substandard** एवं **Extraneous matter** मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं (2)(v) का उल्लघंन क्या है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः मशः धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से उक्त नमूने की कार्यवाही की गई। अभियुक्त सं0 1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ निर्माण नहीं किया जाता है।अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का भविष्य में कभी भी विकय नहीं किया जावेगा, साथ ही अभियुक्त सं0 1 ने नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1213/एक्ट/2024/1396 दिनांक 15.04.2024 निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 33/24 (2024/55) सरकार बनाम राकेश मित्तल

**STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN).**
**FORM-II**
**Report of the Food Analyst**
**[Refer Regulation (II) of 2.3.1]**

Report No. L.S. 1854/ Act / 2016 / 2790 Date:- 01-08-2016

Certified that I Pankaj Kumar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purolya, Food Safety Officer O/O The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur, a sample of "20-20 Butter Cookies (Parle)" bearing Code number and Serial number II-946 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 26-05-2016 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals no. 04 were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed enve lope by hand.

I found the sample to be "Cereal and Cereal Products" falling under Regulation No. 2.4.15.1 Biscuit of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 04-07-2016 to 11-07-2016 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description:-Sample is in a sealed and intact pet jar having 5 original company packed of 45 gm.
(2) Physical appearance: - Light brown coloured rectangular shaped biscuit
(3) Label: -

Brand name : - 20-20 Butter Cookies Parle. FSSAI No. 10012013000164
Batch No. : - A18CB.
Date of Mfg. / Pkg. : - 3/16
Best before : - 6 months from packaging.
Symbol for Veg. /Non Veg : - Green symbol given.
Nutritional information : - Given.
Ingredients :- Wheat Flour, Sugar, Edible Vegetable Oil, Contravene Regulation 2.2.2(2)(c) of Food Safety &Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011 Invert Sugar Syrup, Milk Solids, Raising Agents [(503(II), Baking Powder], Salt, Butter (0.3%), Emulsifier [Diacetyltartric and Fatty Acid Ester of Glycerol of Edible Vegetable Oils] and Dough Conditioner [123] Contains Added Flavour (Artificial Flavouring Substances-Butter)
Name & Address of Mfr. / Pkr.: - Ajmer Food Products Pvt. Ltd, F-65-66, Indl. Area, Parbatpara. RJ. -305002

| Sl. No. | Quality Characteristics. | Name of the method of the test used. | Results | Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ash insoluble in dilute Hydrochloric acid (on dry basis). | Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi | 0.03% | Not more than 0.1% |
| 2. | Acidity of extracted fat as Oleic acid. | ------do------ | 0.16% | Not exceeding 1.5% |
| 3. | Test for added sugar. | ------do------ | Positive. | Positive. |
| 4. | Artificial sweetener Saccharin. | ------do------ | Absent. | As per Regulation No.3.1.3 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. |
| 5. | Added colouring matter. | ------do------ | Absent | As per Regulation No. 3.1.2 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. |

Opinion-The sample of "20-20 Butter Cookies (Parle)" bearing Code No. and Sr. No. II-946 of Designated Officer Cum the Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

Signed this 01st day of August 2016

Food Analyst
FOOD ANALYST
RAJASTHAN, JAIPUR

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत अभियुक्त को जुर्माना राशि 20,000 रूपये (अक्षरे– बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिं[illegible]मर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी